## अधिसूचना

## 29 अक्टूबर, 2002 ई0

सं0 4494 / श्रम सेवायोजन / 2002, 555 - श्रम / 2002 - चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की सं0 449म/ सं0 449म/ के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में विधि को, आदेश द्वारा, निर्म अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

वित्र , उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन क्रारांवल राज्य में यथावत लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन अतः, जन, विकास करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 उत्तरांचल अधिन करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 उत्तरांचल गृतित्या का प्रतिस्थित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :-राज्य-में निर्मादिक्षित पानियानों से संध्यानी

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

्रमंक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्म-

,000 g

विधि वमावल

ate o

elfare OWING

ON

1955

lesh

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रमाव से लागू होगा।

2-"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना-

उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 में जहां जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहां—वहां वह शब्द 'उत्तरांचल' के रूप में पढ़ा जायेगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 4494/Labour about Employment/2002, 555--Sharam/2002, dated October 29, 2002 for general information:

#### NOTIFICATION

### October 29, 2002

No. 4494/Labour Employment/2002, 555--Sharam/2002--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment, as necessary or expedient;

AND, WHEREAS, the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 hall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :--

# UTTARANCHAL (UTTAR PRADESH FACTORIES RULES, 1950) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

# 1--Short title and Commencement--

- (1) This order may be called the Uttaranchal ( Uttar Pradesh Factories Rules, 1950) Adaptation and Modification Order, 2002.
  - (2) It shall come into force at once.

2-The word "Uttar Pradesh" to be read "Uttaranchal" -- hear ad a In the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttaranchal".